GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार) MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय) RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No. 2014/TG-I/20/P Pt.

New Delhi, dated 21.05.2015

Chief Commercial Managers, All Zonal Railways,

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 30 OF 2015)

Sub: Running of special trains.

Please refer to this office letter of even number dated 24.04.2015 (CC no. 26 of 2015) wherein Zonal Railways were advised the procedure regarding running of special trains with separate rules and fare structure.

- 2. The matter has been further examined and the following issues are clarified:-
- (i) These trains will be fully reserved trains.
- (ii) The Advance Reservation Period of these trains can be with a minimum period of 10 days to maximum period of 60 days, which is to be decided by the Zonal Railways, keeping in view the demand pattern and with the approval of Chief Commercial Manager.
- (iii) Fare structure of these trains will be on the pattern of Mail/Express trains. In addition to fare, 'special' charges will be realised which will be fixed as a percentage of fare at the rate of 10% of basic fare for second class and 30% of basic fare for all other classes subject to minimum and maximum as given in the table below:-

| Class of Travel | Minimum Charges (in ₹) | Maximum Charges (in ₹) |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Reserved Second Sitting (2S) | 10 | 15 |
| Sleeper | 90 | 175 |
| AC Chair Car | 100 | 200 |
| AC-3 tier | 250 | 350 |
| AC-2 tier | 300 | 400 |
| Executive | 300 | 400 |
| 1AC | 300 | 400 |

- (iv) The tickets will be issued for actual distance of travel, subject to the distance restriction applicable to the train.
- (v) The minimum distance criteria for booking tickets in these trains will be as under:

| Class | Minimum distance for charge (in Km) | |
|--------------|-------------------------------------|--|
| 2S | 100 | |
| Sleeper | 500 | |
| AC Chair Car | 250 | |
| 3E/3A | 500 | |
| 2A | 500 | |
| EC | 250 | |
| 1A | 300 | |

- (vi) In case the total run of the train is less than the distance restriction, in that case, the end to end fare i.e. from originating to destination station will be charged.
- (vii) Zonal Railways should assess the demand pattern for both onward and return directions of the run. In case the demand is there for both the directions, normal fare plus 'Special charges' shall be levied for both the directions. However, if the demand is only in one direction, normal fare plus 'Special charges' shall be levied for one direction and for other direction for which there is less demand, normal fare can be charged. Decision in this regard shall be taken with the approval of Chief Commercial Manager.
- (viii) No concessional/pre-bought booking will be allowed in these special trains.
- (ix) There will be no separate Tatkal quota in these trains. However, Zonal Railways may provide for Premium Tatkal quota, if there is demand, by suitably defining the number of coaches.
- (x) Cluster bookings, BPT booking, block booking, current booking will also be allowed in these trains.
- (xi) Except for the fare, which will be charged as mentioned above, general ticket rules will be applicable during further transactions on tickets booked in these trains e.g. cancellation, modification, duplicate ticket issue/cancellation, refund of fare/difference, etc.
- (xii) Supplementary charges like reservation fee, superfast surcharge, service tax, mela surcharge etc will be levied separately.
- (xiii) This special service will be in addition to Premium/other prescribed special services.
- (xiv) Booking of these trains will be allowed from counter as well as from internet.
- (xv) Since except for the fare, all other general booking rules are applicable in these trains, it is desired that these trains may simply be called as 'Special Trains'.
- 3. Necessary instructions may be issued to all concerned.
- 4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(Dr. S.K. Ahirwar) Director Traffic Commercial (G) Railway Board

No. 2014/TG-I/20/P Pt.

New Delhi, dated 21.05.2015

Copy to:

FA & CAO, All Zonal Railways. Director (Audit), All Zonal Railways.

For Financial Commissioner/Railways

Copy to:

- 1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
- 2) ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
- 3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
- 4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
- 5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
- 6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
- Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
- 8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
- 9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
- 10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
- 11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
- 12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
- 13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

) भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2014/टीजी-1/20/पी पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक 21.05..2015

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2015 का वाणिज्य परिपत्र सं. 30)

विषय: स्पेशल ट्रेन चलाना।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 24.04.2015 के समसंख्यक पत्र (2015 का वाणिज्य परिपत्र सं. 26) का अवलोकन करें जिसमें क्षेत्रीय रेलों को अलग नियमों और किराया संरचना वाली स्पेशल गाडियों को चलाने की प्रक्रिया सूचित की गई थी।

- 2. इस मामले की पुन: जांच की गई है और इस संबंध में निम्नलिखित मुद्दे स्पष्ट किए जाते हैं:
 - (i) ये गाडियां पूर्णतः आरक्षित होंगी।
- (ii) इन गाडियों में अग्रिम आरक्षण की अवधि कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 60 दिन हो सकती है जिसका निर्णय मांग के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए और मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के अनुमोदन से क्षेत्रीय रेलों द्वारा किया जाएगा।
- (iii) इन गाडियों की किराया संरचना मेल/एक्सप्रेस गाडियों के पैटर्न पर होगी। किराए के अलावा, "विशेष" प्रभार लिए जाएंगे जिसे द्वितीय श्रेणी के लिए आधार किराए के 10% और अन्य सभी श्रेणियों के लिए आधार किराए के 30% की दर से किराए के प्रतिशत के रूप में तय किया जाएगा जिसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा नीचे दी गई तालिका के अन्सार होगी:-

| यात्रा की श्रेणी | न्यूनतम प्रभार (रुपए में) | अधिकतम प्रभार (रुपए में) |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| आरक्षित द्वितीय श्रेणी | 10 | 15 |
| (2एस) | | |
| शयनयान | 90 | 175 |

| वातानुकूलित कुर्सीयान | 100 | 200 |
|-----------------------|-----|-----|
| वातानुकूलित-3 टीयर | 250 | 350 |
| वातानुकूलित-2 टीयर | 300 | 400 |
| एग्जिक्यूटिव | 300 | 400 |
| प्रथम वातानुकूलित | 300 | 400 |

- (iv) टिकर्टे गाड़ी के लिए लागू दूरी प्रतिबंध के अंतर्गत यात्रा की वास्तविक दूरी के लिए जारी की जाएंगी।
- (v) इन गाडियों में टिकट बुक कराने के लिए नयूनतम दूरी का मानदंड निम्नानुसार होगा:

| श्रेणी | प्रभार के लिए न्यूनतम दूरी (किलोमीटर |
|-----------------------|--------------------------------------|
| | में) |
| 2एस | 100 |
| शयनयान | 500 |
| वातानुकूलित कुर्सीयान | 250 |
| 3 ई/3ए | 500 |
| 2ए | 500 |
| ईसी | 250 |
| 1ਦ | 300 |

(vi) यदि गाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी प्रतिबंधित दूरी से कम हो, तो उस मामलें में एक छोर से दूसरे छोर तक का अर्थात् आरंभिक स्टेशन से अंतिम स्टेशन तक का किराया लिया जाएगा।

(vii) क्षेत्रीय रेलों को गाड़ी के जाने और वापस आने, दोनों दिशाओं में मांग के स्वरूप का आकलन करना चाहिए। यदि दोनों दिशाओं के लिए मांग हो, तो दोनों दिशाओं के लिए सामान्य किराया और 'विशेष प्रभार' लगाया जाएगा। बहरहाल, यदि मांग केवल एक दिशा में हो, तो एक दिशा के लिए सामान्य किराया और 'विशेष प्रभार' लगाया जाएगा और दूसरी दिशा जिसके लिए मांग कम हो, के लिए सामान्य किराया लिया जा सकता है। इस संबंध में निर्णय मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के अनुमोदन से लिया जाएगा।

(viii) इन स्पेशल गाडियों में किसी प्रकार की रियायती/खरीद-पूर्व बुकिंग की अनुमति नहीं होगी।

- (ix) इन गाड़ियों में कोई अलग तत्काल कोटा नहीं होगा। बहरहाल, यदि मांग हो तो कोचों की संख्या विधिवत रूप से निर्धारित करके, क्षेत्रीय रेलें प्रिमियम तत्काल कोटा की व्यवस्था कर सकती हैं।
- (x) इन गाडियों में क्लस्टर बुकिंग, बीपीटी बुकिंग, ब्लॉक बुकिंग, चालू बुकिंग की भी अनुमति होगी।
- (xi) इन गाडियों में किराए को छोड़कर, जोकि उपयुक्त विधि से लिया जाएगा, बुक की गई टिकटों से संबंधित आगे कार्यवाही करने जैसे, रद्दकरण, संशोधन, डुप्लिकेट टिकट जारी करना/रद्द करने, किराया/किराए का अंतर वापस करने आदि, के दौरान, सामान्य टिकट नियम लागू होंगे।
- (xii) अतिरिक्त प्रभार, जैसे आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट प्रभार, सेवाकर, मेला प्रभार आदि अलग से लगाए जाएंगे।
- (xiii) यह स्पेशल सेवा प्रिमियम/अन्य निर्धारित स्पेशल सेवाओं के अतिरिक्त होगी।
- (xiv) इन गाडियों में बुकिंग की अनुमित काउन्टर से और इंटरनेट से भी होगी।
- (xv) चूँिक किराए को छोड़कर, इन गाडियों में अन्य सभी सामान्य बुकिंग नियम लागू हैं, अत: यह वांछित है कि इन गाडियों को केवल "स्पेशल ट्रेन" कहा जाए।
- 3. सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
- 4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(डा. एस.के. अहिरवार) निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)

रेलवे बोर्ड

सं. 2014/टीजी-I/20/पी पार्ट प्रतिलिपि प्रेषित:

नई दिल्ली, दिनांक 21.05..2015

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें निदेशक (लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

प्रनाज उके

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

- 1) सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
- 2) एडीजी/पीआर, ईडीवी(टी), ईडीएफसी, डीएफ(सी), ओएसडी/टीसी, एफ(सी) और वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
- 3) एम डी/आई आर सी टी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- 4) महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
- 7) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-2260011
- 8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
- 9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
- 10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
- 12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71